



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के आरोपी शोएब उर्फ भोन्दा को पुलिस मॉनिटरिंग सैल और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 1.20 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त **शोएब उर्फ भोन्दा पुत्र सलीम निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत** द्वारा वर्ष- 2020 में जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 782/2020 धारा 307/34 भादवि, मु0अ0सं0 784/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 785/2020 धारा 414 भादवि पंजीकृत हुये थे। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा **अभियुक्त शोएब उर्फ भोन्दा को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 1.20 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की बड़ी सफलता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 05.09.2023

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

भूरे उर्फ आदित्य पुत्र विजय सिंह निवासी कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-का0 940 अभिषेक थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 05.09.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-शाहिल सलमानी पुत्र अकबर निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली ।
2. उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली ।
- 3.है0का0 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली ।
- 4.का0 976 लवकुश थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 05.09.2023

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

युनुस पुत्र फैय्याज निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह ।

2- का0 876 कैलाश ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 05.09.2023

**थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 241/2023 धारा 452/354/504/506
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 241/23 धारा 452/354/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूपेन्द्र पुत्र जगबीर निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- का0 924 विशाल वासुदेव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 05.09.2023

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिहारी उर्फ आकाश पुत्र कमल किशोर उर्फ कलीराम निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 259/21 धारा 386/120 बी भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 170/20 धारा 13 जी एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 149/23 धारा 457/380 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 195/23 धारा 457/380 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5- मु0अ0सं0 242/23 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 251 अजय थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3.का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।